बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–पु० / सू० / केन्द्र / निदे० / प्राधिकार–54 / 2024–२५५ पटना, दिनांक–10/11/२०२५

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

औपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाईब्रेरी (राज्य पुस्तकालय), पटना का (G+7) नव भवन निर्माण हेतु स्वीकृत **रू०–67,60,47,000=00 (सड़सठ करोड़ साठ लाख सैतालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में रू०–9,60,00,000=00 (नौ करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र की राशि की विमुक्ति के संबंध में।**

उद्देश्यः– श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाईब्रेरी (राज्य पुस्तकालय), पटना, छज्जुबाग के निकट में अवस्थित है। BSEIDC, Patna द्वारा उक्त पुस्तकालय का (सिन्हा लाईब्रेरी) का (G+7) नव भवन निर्माण कराने के संबंध में उपलब्ध कराये गये **रू०–67,60,47,000=00 (सड़सठ करोड़ साठ लाख सैतालीस हजार रूपये) मात्र** की राशि के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 से अध्यावधि तक **रू०–10,94,71,000=00 (दस करोड़ चौरानवे लाख एकहत्तर हजार रूपये) मात्र** की राशि क्रियान्वयन संस्थान BSEIDC, पटना को करायी जा चुकी है। तथा पुस्तकालय का निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुस्तकालय निदेशालय के राज्य योजना मद अन्तर्गत (53–01) मुख्य निर्माण कार्य मद में अवशेष उपबंध **रू०–9,60,00,000=00 (नौ करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र** की राशि की विमुक्तियादेश स्वीकृत की जाती है।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के (G+7) नव भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–202, दिनांक–10.12.2024 द्वारा स्वीकृत **रू०–67,60,47,000=00 (सड़सठ करोड़ साठ लाख सैतालीस हजार रूपये) मात्र** की राशि के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में तत्काल **रू०–9,60,00,000=00 (नौ करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र की राशि** की विमुक्तियादेश निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का आवंटन लोक वित्त समिति के निदेशानुसार **BSEIDC, Patna** के **PL** खाता संख्या–**PBBPLA005** के अन्तर्गत **Ledger ID 3851** में राशि का अन्तरण किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि का आवंटन उप निदेशक प्रशासन–सह–बजट पदाधिकारी के द्वारा CFMS प्रक्रिया के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त राशि निदेशक पुस्तकालय–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा **BTC-26** पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना के माध्यम से क्रियान्वयन संस्थान बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के **PL** खाता संख्या–**PBBPLA005** के अन्तर्गत **Ledger ID 3851** में राशि का अन्तरण किया जायेगा।

5. व्यय की गई राशि के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र में सभी मूल डि०सी० विपत्रों के साथ उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना की होगी। जिसके पश्चात् उक्त राशि का सामंजन महालेखाकार बिहार, पटना से कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त स्वीकृत राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–04–कला तथा संस्कृति, लघु शीर्ष–105–सार्वजनिक पुस्तकालय, उपशीर्ष–0101–पुस्तकालय भवन, विपत्र कोड–21–4202–04–105–0101, विषय शीर्ष–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

7. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के कंडिका–2 (1) नई स्कीम के अनुसार राशि की स्वीकृति पर प्रशासी विभाग के सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हैं एंव उक्त राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त मद में विकलन होने वाले राशि के अनुश्रवण निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना के स्तर पर की जायेगी।

9. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में विधिवत भरकर **BSEIDC, Patna** द्वारा निदेशक पुस्तकालय को समर्पित किया जायेगा। जिसपर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए विभागीय प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरोपरांत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना से राशि का सामंजन कराया जायेगा।

10. इस योजना पर लोक वित्त समिति की दिनांक–21.11.2024 की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गयी है।

11. इस योजना पर दिनांक–03.12.2024 को हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–19 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

12. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के **पृ०–44/टि० पर दिनांक–31.10.2025** को प्राप्त है।

13. अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन ई–फाईल के **नोट–06** पर **दिनांक–07.11.2025** को प्राप्त है।

14. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाय।

15. मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–पु०/सू०/केन्द्र/निदे०/प्राधिकार–54/2025........../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–पु०/सू०/केन्द्र/निदे०/प्राधिकार–54/2025 244/ पटना, दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–प्राधिकृत पदाधिकारी, सिन्हा लाईब्रेरी, पटना/बजट पदाधिकारी/बजट शाखा प्रशाखा–05/लेखा शाखा, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/11/25
सरकार के उप सचिव।